बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अतः अप्रार्थी नं० 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

वकील प्रार्थीगण को T.I. प्रा०पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी T.I. प्रा०पत्र के अनुरूप बहस करते हुए अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक T.I. से पाबंद करने का अनुरोध किया है।

प्रस्तुत T.I. प्रा०पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के कथनानुसार उन्हें जिस स्थान की भूमि का बेचान किया गया है वह मौके पर ख०नं० $\frac{232}{201}$ ना होकर ख०नं० 196, 197, 199, 201 में है जिसे T.I. प्रा०पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया है। मौके पर प्रार्थीगण ~~xxx~~ ख०नं० 196, 197, 199, 201 की लाल स्याही से दर्शित 19 स्यर भूमि पर काबिज है। अब अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके इस कब्जे वाली भूमि से बेदखल करना चाह रहे हैं। हम प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के तर्क से सहमत हैं। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः प्रार्थीगण का T.I. प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा तांफैसला दावा पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख०नं० 196, 197, 199, 201 ग्राम बादमांवता के T.I. प्रा०पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित भूमि के उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न किसी अन्य से करावें। रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.18 13:12:51 IST
Reason: SelfAttested